

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-1)

क्रमांक: एफ 7(2)ग्रावि/ग्रुप-1/2015/पार्ट-11

जयपुर, दिनांक:

10 APR 2017

—:आदेश—

श्री बाबू लाल सेठिया, अधिशाषी अभियन्ता(अभियांत्रिकी), जिला परिषद, जैसलमेर की सेवाएं निर्देशानुसार इनके पैतृक विभाग (सार्वजनिक निर्माण विभाग) को तत्काल प्रभाव से लौटाई जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति अपने पैतृक विभाग में प्रस्तुत करें ।

श्री सेठिया अपना कार्यभार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जैसलमेर के निर्देशानुसार सम्बन्धित अधिकारी को संभलवायेंगे ।


यह आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदित है ।


(सीमा सिंह)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
6. शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर. ।
7. जिला कलक्टर, जैसलमेर ।
8. संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर ।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि श्री सेठिया को तत्काल कार्यमुक्त करें ।
10. श्री बाबू लाल सेठिया, अधि. अभियन्ता(अभि.) जिला परिषद, जैसलमेर ।
11. प्रोग्रामर, ग्रा.वि. राज0 जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।


(राजेश कुमार शर्मा) 10/04/2017
परियोजना अधिकारी(प्रशासन)